

रामेश्वर वनाम् दहीतर
(1797/2021, 2021/360)

22/9/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वरि/
प्राची अपरिचित। वरि/प्राची का
बाद पत्र रखी के अभाव में खरीज
हो चुका है। बाद के अभाव में
प्राचीना - का दीक्षाई के नपलाये
जाने का कोई औचित्य नहीं है।
अब प्राचीना - पर दीक्षाई खरीज
बिधा जाता है। पत्रावली के राज
शुमार होकर नम्बर से कम हो।
दरिद्र फरार हो।

सहायक कलेक्टर
मिर्जापुर जिला - राजी (सिद्ध)

